किशनगढ (अजमेर)

9/1/24
पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप
सी ओ. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे हैं। अत
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 5/2/24

पत्रावली नियत दिनांक 05/02/24 [illegible]
न्यायालय [illegible]
आदेश [illegible] 06/03/24
को पेश हो

आज्ञानुसार
रीडर
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

6/3/24
पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप
सी ओ. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे हैं। अत
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 12/3/24
दि. 30/1/24 को प्रति. 1 वादी की
ओर से वकालतनामा पेश किया गया
जो पत्रावली में शा. मि. रहे

C/N-257/21

12/03/24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप. वकील
वादी की मूल वाद पर एकपक्षीय बहस सुनी
गई।
अतः पत्रावली वास्ते मूल वाद पर आदेश
हेतु दिनांक 20/03/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

20/03/24 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप. वादी
के वाद को स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक
से पत्रावली में शा. मि. किया गया।
अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर
पत्रावली नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

# डिक्री

(आर्डर 20, रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

**(Civil Procedure Code Appendix D-1)**

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम किशनगढ़ (अजमेर)

व इजलास अर्चना चौधरी आर.ए.एस.

1. केतन तंवर पुत्र श्री कैलाशचन्द तंवर जाति धोबी निवासी गणेश जी के मन्दिर के पास, शिवाजी नगर, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

वादी

बनाम

1. श्रीमती छोटी देवी पत्नि श्री हेमा जाति रेगर निवासी ग्राम सरगांव तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज0
3. उपपंजीयक किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रतिवादीगण

4. कालूराम धोबी पुत्र श्री सुवालाल जाति धोबी निवासी साखला भवन, ओसवाली मौहल्ला, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान

औपचारिक प्रतिवादी

दावा बाबत् : 88, 188, 209 आर. टी. एक्ट

मुकदमा नम्बर : 257/2021

निर्णय दिनांक :

न्यायालय हाजा में वकील वादीया की उपस्थिति में आज तारीख 20/03/2024 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी अर्चना चौधरी, आर.ए.एस. के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार किशनगढ़ को ग्राम जोगियों का नाडा स्थित वर्तमान ख0नं0 379/116 रकबा 0.8090 हैक्टेयर भूमि में से वादीया द्वारा क्रयशुदा भूमि रकबा 0.3236 हैक्टेयर यानि 02–00–00 भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है।

यह डिक्री आज तारीख 20/03/2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(अर्चना चौधरी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

## राजस्व वाद संख्या 257 / 2021

1. केतन तंवर पुत्र श्री कैलाशचन्द तंवर जाति धोबी निवासी गणेश जी के मन्दिर के पास, शिवाजी नगर, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

वादी

**बनाम**

1. श्रीमती छोटी देवी पत्नि श्री हेमा जाति रेगर निवासी ग्राम सरगांव तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज0
3. उपपंजीयक किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

प्रतिवादीगण

4. कालूराम धोबी पुत्र श्री सुवालाल जाति धोबी निवासी साखला भवन, ओसवाली मौहल्ला, मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान

औपचारिक प्रतिवादी

**वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

निर्णय दि. 20/03/2024

उपस्थितः श्री रामदेव गुर्जर वादी अभिभाषक

प्रतिवादीगण अभिभाषक

## निर्णय

1. यह वाद वादी द्वारा जरिये वकील श्री रामदेव गुर्जर के माध्यम से अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 के तहतं विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में प्रकरण का सार इस प्रकार है–

2.1 वादी द्वारा अपने वाद में निवेदन किया है कि वादी कि खरीदशुदा व कब्जे काश्त कि आराजी ग्राम जोगीयों का नाड़ा पटवार क्षेत्र सरगांव तहसील किशनगढ में अवस्थित है जिसके वर्तमान खाता संख्या 325 के वर्तमान ख0नं0 379/116 रकबा 0.8090 हैक्टेयर भूमि है। उपरोक्त आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी के पक्ष में रकबा 0.3236 हैक्टेयर अर्थात 02–00–00 भूमि का दिनांक 19.11.2020 को जरिये

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

2. यह कि वादी ने उपरोक्त वर्णित आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 से खरीद

रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 898 में पृष्ठ संख्या 12 क्रम संख्या 202003006106105 पर उपपंजीयक कार्यालय किशनगढ़ में पंजिबद्व किया गया है तब से वादी सतत् निरन्तर रूप से काबिज काश्त करता आ रहा है। वादी उपरोक्त वर्णित आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 से खरीद करने के पश्चात् आज दिन तक निर्बाध रूप से कब्जा काश्त व उपयोग–उपभोग करता आ रहा है। प्रतिवादीं संख्या 2 के समक्ष विक्रयपत्र निष्पादन के पश्चात् अधिकार अभिलेख में बैचान नामान्तकरण खुलवाने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था परन्तु प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा किसी भी प्रकार से कोई प्रभावीं कार्यवाही नहीं करने के कारण यह वाद माननीय योग्य न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी उपरोक्त वर्णित आराजी मे से रकबा 0.3236 अर्थात 02–00–00 भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को पूर्ण प्रतिफल अदायगी कर आराजी का विक्रयपत्र उप–उपंजीयक कार्यलय किशनगढ में निष्पादित करवाया गया है। जब से वादी उपरोक्त आराजी में काबिज काश्त करता आ रहा है। वादी पंजीकृत विक्रयपत्र के आधार से प्रश्नगत आराजी में रकबा 0.3236 अर्थात 02–00–00 भूमि की खातेदारी उद्घोषणा प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी है। वादी के पक्ष में पंजीकृत विक्रयपत्र सें अधिकार अभिलेख में नामान्तकरण इन्द्राज नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अवैध अनुचित तरिके से उपरोक्त वर्णित आराजी को बैचान, हस्तान्तरण, रहन (भारयुक्त) शक्ल परिवर्तन करने पर उद्धत है एवं वादी को मौके से बेदखल करने पर उतारू है। इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषैधाज्ञा कि डिक्री से पाबन्द किया जाना आवश्यक है एवं प्रतिवादी संख्या 2 को राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिती बाबत् स्थाई निषैधाज्ञा कि डिक्री से पाबन्द किया जाना आवश्यक है ताकि वाद कि बहुलता नहीं बढे इस कारण से वादी सद्भाविक रूप से माननीय न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। वाद कारण दिनांक 06.12.2021 को जब उत्पन्न हुआ कि वादी मौके पर कृषकिय कार्य करने हेतु गया तब प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर वादी को खरीदशुदा आराजी रकबा 0.3236 अर्थात 02–00–00 भूमि से बेदखल करने पर आमादा हो गये तब वादी द्वारा निवेदन किया कि उक्त आराजी मैने खरीद की है तब प्रतिवादी संख्या 1 ने ऐलानिया धमकी दी की उक्त आराजी अभी भी मेरे नाम अधिकार अभिलेख में दर्ज है इस कारण उक्त आराजी को मै बैचान, रहन करूंगी और तुम्हे उक्त आराजी से बेदखल कर दुगी तब वादी द्वारा अपने अधिवक्ता से दिनांक 07.12.2021 को सम्पर्क कर माननीय न्यायायल के समक्ष यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है तब से वाद कारण निरन्तर जारी है। औपचारिक प्रतिवादी संख्या 4

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

द्वारा उपरोक्त आराजी में से रकबा 0.4854 अर्थात 03–00–00 भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.11.2020 को खरीद किया गया है परन्तु वाद व्यय वहन करने में असमर्थता जाहीर करने से औपचारिक प्रतिवादी के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया है। जिसके विरूद्ध किसी भी प्रकार से कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। अतः वादी द्वारा निवेदन किया कि वादी की क्रयशुदा भूमि की खातेदारी कि घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी के पक्ष में जारी की जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषैधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 उपरोक्त आराजी को बैचान, हस्तान्तरण, रहन (भारयुक्त), शक्ल परिवर्तन नहीं करे एवं मौके से वादी को बेदखल नहीं करे तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को मौका व रिकार्ड कि यथा स्थिती बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जावे।

3. प्रतिवादी को वाद के सम्मन वास्ते स्थिरीकरण के लिये (आदेश 5 नियम 1 व 5 व्यवहार प्रक्रिया संहिता) के तहत् सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी सं0 1 व 4 के बावजुद सूचना के उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध दिनांक 23.12.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा प्रतिवादी सं0 2 व 3 द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने पर उनका जवाब अवसर बन्द किया गया।

4. प्रकरण में वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

4.1 वकील वादी द्वारा अपनी बहस के दौरान वाद पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि

5. हमारे द्वारा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में गहनता से अवलोकन किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ पत्र, दस्तावेजात् का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण का जवाब प्राप्त नहीं होने के कारण पत्रावली में तनकियात बिन्दू कायम नहीं किये गये तथा वादी की साक्ष्य दर्ज की गई। प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 खाता सं0 नया 325 पुराना 253 में दर्ज ख0नं0 379/116 रकबा 0.8090 हैक्टेयर किस्म बारानी–2 प्रतिवादी सं0 1 की खातेदारी में दर्ज होकर प्रदर्श–2 खसरा नक्शा अनुसार खसरा नम्बर 379/116 की पृथक से तरमीम है किन्तु प्रदर्श–3 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अनुसार प्रतिवादी सं0 1 श्रीमती छोटी पत्नि हेमा जाति रेगर द्वारा वादग्रस्त ख0नं0 379/116 रकबा 0.8090 हैक्टेयर भूमि में से 0.3236 यानि 02–00–00 भूमि का वादी को बैचान किया गया है जो कि उपपंजीयक कार्यालय में रजिस्टर्ड हुआ है। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार किशनगढ़ को ग्राम जोगियों का नाडा स्थित वर्तमान ख0नं0 379/116

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

रकबा 0.8090 हैक्टेयर भूमि में से वादीया द्वारा क्रयशुदा भूमि रकबा 0.3236 हैक्टेयर यानि 02–00–00 भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 20/03/2025को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(अर्चना चौधरी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)